भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3761
11 अगस्त, 2026 को उत्तरार्थ

विषय: एकीकृत कीट प्रबंधन योजना

3761. श्री अनुराग सिंह ठाकुरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और मंडी जिलों में मक्के की फसलों को प्रभावित करने वाले फॉल आर्मीवॉर्म के व्यापक प्रकोप की जानकारी है, जिसमें कुछ ब्लॉकों में प्रकोप का स्तर 15 प्रतिशत तक पहुंच गया है;

(ख) एकीकृत कीट प्रबंधन योजनाओं के अंतर्गत इस प्रकोप से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश को प्रदान की गई वित्तीय और तकनीकी सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या स्थिति का आकलन करने के लिए किसी केंद्रीय टीम को प्रतिनियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से फॉल आर्मीवॉर्म के बार-बार होने वाले हमलों के कारण उपज को हुआ नुकसान झेलने वाले या मक्के की खेती छोड़ने वाले किसानों को मुआवजा प्रदान करने की कोई योजना है;

(घ) इस प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए परामर्शों, निगरानी उपायों, एकीकृत कीट प्रबंधन उपायों, फेरोमोन ट्रैप, जैव-कीटनाशकों, स्वीकृत कीटनाशकों, जागरूकता अभियानों और सहायता का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आक्रामक कीटों के लिए पूर्व-चेतावनी, कीट-निगरानी और अनुसंधान सहायता को मजबूत करने के लिए उठाए गए अन्य कदमों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): कृषि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में मक्का की खेती का कुल क्षेत्र 2,54,104 हेक्टेयर है, जिसमें से 19,028 हेक्टेयर (7.48%) क्षेत्र के फॉल आर्मीवॉर्म (एफ़एडबल्यू) से प्रभावित होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

(ख): भारत सरकार मोटे अनाज (मक्का एवं जौ) सहित विभिन्न फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफ़एसएनएम) का क्रियान्वयन कर रही है। वर्ष 2026-27 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एनएफ़एसएनएम–मोटे अनाज के अंतर्गत एकीकृत कीट प्रबंधन हस्तक्षेप हेतु 12.375 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) कार्यक्रम के माध्यम से तकनीकी सहायता प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी), सोलन नियमित निगरानी, रैपिड रोविंग सर्वेक्षण, कीट निगरानी तथा किसानों को परामर्श जारी करने का कार्य कर रहा है। सीआईपीएमसी, सोलन एवं राज्य कृषि विभाग द्वारा संयुक्त क्षेत्रीय सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर) ने सूचित किया है कि राज्य सरकार के कृषि विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) के साथ मिलकर पूरे सीजन में फॉल आर्मीवॉर्म की निरंतर निगरानी की गई तथा उन्हें आवश्यक नियंत्रण उपाय बताए गए। मक्का पर फॉल आर्मीवॉर्म के प्रबंधन हेतु अद्यतन पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज़ (पीओपी) कांगड़ा एवं बजौरा सहित सभी अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) मक्का केंद्रों के साथ नियमित रूप से साझा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, किसानों को विभिन्न शिविरों के आयोजन के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है तथा उन्हें फॉल आर्मीवॉर्म नियंत्रण हेतु आईपीएम, यांत्रिक, रासायनिक एवं जैविक तकनीकों के साथ-साथ फेरोमोन ट्रैप, नीम आधारित कीटनाशकों, ट्राइकोडर्मा तथा परभक्षियों (प्रीडेटर्स) आदि के प्रयोग की सलाह दी गई है। राज्य सरकार ने राज्य कृषि विश्वविद्यालय तथा बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी, चंबा एवं हमीरपुर जिलों के संबंधित कृषि विज्ञान केंद्रों के परामर्श से यथासमय सलाह जारी की है तथा प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशकों की आपूर्ति की है। किसानों को पैंफलेट, समाचार-पत्रों, रेडियो घोषणाओं तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से परामर्श जारी किया गया।

(ग): सरकार ने खरीफ 2016 से उपज-आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफ़बीवाई) तथा मौसम सूचकांक आधारित पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडबल्यूबीसीआईएस) आरंभ की है, ताकि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित फसलों एवं क्षेत्रों के लिए बुवाई-पूर्व से फसल कटाई के बाद तक फसल क्षति के लिए व्यापक जोखिम बीमा उपलब्ध कराया जा सके। यह योजना हिमाचल प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही है। सभी इच्छुक किसान इस योजना के अंतर्गत नामांकन हेतु पात्र हैं। उपज हानि अथवा अपरिहार्य जोखिमों के कारण होने वाली हानि पीएमएफ़बीवाई योजना के अंतर्गत कवर की गई है तथा योजना के अंतर्गत बीमित किसान योजना के प्रचालन दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार दावा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) और (ङ): कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर एवं मंडी सहित हिमाचल प्रदेश में सीआईपीएमसी, सोलन ने किसानों के बीच फॉल आर्मीवॉर्म के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने हेतु वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 105 तथा वर्ष 2025-26 के दौरान 115 किसान खेत पाठशाला कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2026-27 के दौरान मक्का फसल में सूचित फॉल आर्मीवॉर्म के प्रबंधन हेतु सीआईपीएमसी, सोलन द्वारा परामर्श भी जारी किए गए हैं। जारी किए गए परामर्शों का विवरण **अनुबंध-II** पर संलग्न है।

सीआईपीएमसी, सोलन ने फॉल आर्मीवॉर्म का शीघ्र पता लगाने एवं इसकी निगरानी हेतु हिमाचल प्रदेश के मक्का उत्पादक क्षेत्रों में नियमित निगरानी की है। क्षेत्रीय प्रेक्षणों के आधार पर, किसानों को आईपीएम पद्धतियों पर बल देते हुए समय पर परामर्श प्रसारित किए गए, जिनमें नियमित क्षेत्र निरीक्षण, फेरोमोन ट्रैप का इन्स्टॉलेशन एवं निगरानी, अंडा समूहों तथा प्रारंभिक अवस्था के लार्वा का संग्रहण एवं इन्हें नष्ट करना तथा फॉल आर्मीवॉर्म के प्रारंभिक अवस्था के लार्वा के प्रबंधन हेतु जैविक नियंत्रण कारकों को आवधिक रूप से छोड़ना शामिल है। इसके अतिरिक्त, मक्का में फॉल आर्मीवॉर्म के प्रबंधन हेतु भारत में जैव-कीटनाशक सहित 25 विभिन्न कीटनाशक पंजीकृत हैं (**अनुबंध-III**) तथा आईपीएम कार्यक्रमों के दौरान इन स्वीकृत कीटनाशकों के आवश्यकतानुसार प्रयोग का सुझाव दिया जाता है।

भारत में फॉल आर्मीवॉर्म का पता चलने के पश्चात, आईआईएमआर ने राज्य सरकारों, केवीके तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के सहयोग से मक्का में फॉल आर्मीवॉर्म प्रबंधन हेतु कल्चरल, यांत्रिक, जैविक एवं रासायनिक नियंत्रण उपायों को समाहित करते हुए एक व्यापक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेज़ (पीओपी) विकसित किया है, जिसे अपनाने हेतु सभी केवीके एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को प्रसारित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने देश भर में रियल टाइम कीट निगरानी, फसल रोग निगरानी तथा AI-आधारित परामर्श प्रणालियों को सुदृढ़ करने हेतु दिनांक 15.08.2024 को "राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली" (National Pest Surveillance System - NPSS) आरंभ की है। यह प्रणाली कीट प्रकोप, फसल रोगों, फसल क्षति आदि से संबंधित शीघ्र एवं तत्काल समाधान उपलब्ध कराने हेतु किसानों को रियल टाइम फसल सुरक्षा परामर्श जारी करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग (एआई एवं एमएल) जैसी नवीनतम डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। एनपीएसएस में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे जैव-नियंत्रक एजेंट या जैव-कीटनाशकों का इस्तेमाल करें और रासायनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के रूप में करें, और वह भी सिर्फ उन कीटनाशकों का जो पंजीकरण समिति (आरसी) द्वारा संस्तुत लेबल क्लेम वाले हों।

अनुबंध I

राज्य कृषि विभाग- हिमाचल प्रदेश के अनुसार दिनांक 25.07.2026 तक फॉल आर्मीवॉर्म की स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम	मक्का खेती के अंतर्गत क्षेत्र (हेक्टेयर)	फॉल आर्मीवॉर्म प्रभावित क्षेत्र (हेक्टेयर)	फॉल आर्मीवॉर्म % प्रकोप
1	हि.प्र.	बिलासपुर	26000	1205	4.63
2		चंबा	15790	500	3.16
3		हमीरपुर	28000	1970	7.02
4		कांगड़ा	46393	4175	9.23
5		मंडी	44050	3135	7.12
6		कुल्लू	10800	50	0.46
7		ऊना	30451	4561	11.00
8		शिमला	6620	35	0.52
9		सोलन	22000	1980	9.00
10		सिरमौर	24000	1417	9.00
कुल			**254104**	**19028**	**7.48**

अनुबंध-II

वर्ष 2026-27 के दौरान कांगड़ा, चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी सहित हिमाचल प्रदेश में सीआईपीएमसी **द्वारा मक्का फसल में सूचित फॉल आर्मीवॉर्म के प्रबंधन हेतु जारी किए गए परामर्श।**

क्र.सं.	**फसल**	**कीट/रोग**	**जिला (जारी परामर्शों की संख्या)**	ब्लॉक	**गाँव**	**जारी करने की तिथि**
1.	मक्का (2026-27)	फॉल आर्मीवॉर्म	कांगड़ा (10)	कांगड़ा, बजीनाथ, भवारना, इंदौरा, जयसिंहपुर, ज्वालामुखी, खुंडियां, नगरोटा सूरियां, पंचरुख, पड़गपुर	सभी गाँव	16.07.2026 और 17.07.2026
			हमीरपुर (8)	भोरंज, भोटा, हमीरपुर, जाहू, लम्बलू, नादौन, टौणी देवी बम्सण, टीरा सुजानपुर,	सभी गाँव	16.07.2026 और 17.07.2026
			बिलासपुर (3)	भरारी, बिलासपुर सदर, घुमारवीं	सभी गाँव	16.07.2026 और 17.07.2026
			सोलन (2)	नालागढ़ और कुनिहार	सभी गाँव	17.07.2026 और 27.07.2026
			ऊना (1)	अंब	सभी गाँव	20.07.2026
			सिरमौर (1)	राजगढ़	सभी गाँव	17.07.2026

अनुबंध-III

मक्का में फॉल आर्मीवॉर्म के नियंत्रण हेतु पंजीकृत कीटनाशकों / जैव-कीटनाशकों की सूची

क्र.सं.	**मॉलिक्यूल (Molecule)**
1.	ब्रॉफ्लानिलाइड 20% एस.सी.
2.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 18.50% एस.सी.
3.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 00.40% जी.आर.
4.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 47.85% w/w एस.सी.
5.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 50% w/w एफ.एस.
6.	सायन्ट्रानिलिप्रोल 48% w/w एफ.एस.
7.	फ्लूबेंडियामाइड 20% डब्ल्यू.जी.
8.	आइसोसाइक्लोसेरम 18.1% w/w एस.सी. (20% w/v एस.सी.)
9.	पाइरिडालिल 10% ई.सी.
10.	स्पिनेटोराम 11.70% एस.सी.
11.	स्पिनेटोराम 0.1% w/w आर.बी.
12.	टेट्रानिलिप्रोल 18.18% w/w एस.सी.
13.	एसिफेट 45% + सायपरमेथ्रिन 5% डी.एफ.
14.	एसीटामिप्रिड 19.50% + क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 19.50% w/w एफ.एस.
15.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 0.45% + फिप्रोनिल 0.50% + एमामेक्टिन बेंजोएट 0.18% जी.आर.
16.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 09.30% + लैम्ब्डा-सायहलोथ्रिन 04.60% जेड.सी.
17.	क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल 10% w/w + नोवाल्यूरोन 20% w/w एस.सी.
18.	सायन्ट्रानिलिप्रोल 16.9% + लुफेन्यूरोन 16.9% w/w एस.सी.
19.	सायन्ट्रानिलिप्रोल 19.8% w/w + थायामेथोक्साम 19.8% w/w एफ.एस.
20.	एमामेक्टिन बेंजोएट 5% w/w + लुफेन्यूरोन 40% w/w डब्ल्यू.जी.
21.	एमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% + प्रोफेनोफॉस 35% w/w डब्ल्यू.डी.जी.
22.	लुफेन्यूरोन 4% + एमामेक्टिन बेंजोएट 1.5% ई.सी.
23.	नोवाल्यूरोन 05.25% + एमामेक्टिन बेंजोएट 0.9% एस.सी.
24.	एमामेक्टिन बेंजोएट 2.2% + पर्मेथ्रिन 15.3% ई.सी.
25.	ब्यूवेरिया बैसियाना 1.5% ए.एस. (सीएफ़यू काउंट: 1x10^8 /ml न्यूनतम) स्ट्रेन-एएमएमएफए-बीबी1, एनसीएमआर एक्सेसन संख्या MCC 0579
